न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुंतला आरएएस

मु0नं0 – 130/2021 (2021/225)

रामतीर्थ पुत्र प्रभुदयाल उम्र 29 वर्ष निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. प्रभूराम उर्फ प्रभुदयाल पुत्र श्रवण उम्र 50 वर्ष निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. अशोक कुमार पुत्र प्रभुदयाल उम्र 27 वर्ष निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री हनुमान सहारण प्रथम: वादी

वकील श्री राजेश गोदारा: प्रतिवादी सं0 1 ता 5

निर्णय

दिनांक : 27/9/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गांव मुन्सरी बारानी के खाता संख्या 250/230 के खसरा संख्या 109 में 3.3390 हैक्टर एवं चक नं. 11 एम एस आर के खाता संख्या 78/79 के मु.न. 12 के किला नं. 1, 2/1, 9/1, 10 ता 13 व 14/1, 18 ता 23 की 3.1620 हैक्टर नहरी मय रास्ता 0.0380 हैक्टर दोनों चकों की कुल 6.501 हैक्टर इसी प्रकार चक 7 जीजीएम के खाता संख्या 7/59 में 4427/27830 हिस्सा एवं खाता सं. 87/87 में 1/9 हिस्सा एवं मुन्सरी बारानी के खाता संख्या 77/76 में 256 हिस्सा कृषि भूमि वादी के पिता प्रभूदयाल के नाम कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि श्रवण की खातेदारी कृषि भूमि हुआ करती थी जो मृत्यु के बाद कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में ओद हो गई। प्रतिवादी सं. 1 को उक्त भूमि अपने पिता श्रवण से विरासतन प्राप्त हुई है, जो संयुक्त परिवार की सहदायिक कृषि भूमि है, जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होने के कारण जन्म से हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रभूराम उर्फ प्रभूदयाल के नाम मुन्सरी वारानी में खाता सं. 77/76 में 11 बीघा एव चक 7 जीजीएम गोगामेड़ी में 6 बीघा कृषि भूमि दादालाई कृषि भूमि से अलग रजिस्टर्ड है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 3 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी रमेश कुमार ने शपथ पत्र मुख्य परीक्षा पेश कर दस्तावेज जमाबंदी मुन्सरी बारानी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 250/230 प्रदर्श–01, जमाबंदी 2 एएसआर सम्वत 2072–76 खाता सं. 78/79 प्रदर्श–2, जिसका दूसरा भाग प्रदर्श 03, वारिस प्रमाण पत्र गाम पंचायत मुन्सरी प्रदर्श 04 प्रदर्शित करवाये।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वाद कृषि भूमि संयुक्त परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। इस प्रकार उभयपक्ष वकीलों ने मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हस्तगत वाद वादी ने राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी प्रदर्शित करवाई है जिससे उक्त वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 04 में प्रभूदयाल के वारिसान में पत्नि कोयल व दो पुत्र रामतीर्थ, व अशोक कुमार मोजूद होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गांव मुन्सरी बारानी के खाता संख्या 250/230 के खसरा संख्या 109 में 3.3390 हैक्टर एवं चक नं. 11 एम एस आर के खाता संख्या 78/79 के मु.न. 12 के किला नं. 1, 2/1, 9/1, 10 ता 13 व 14/1, 18 ता 23 की 3.1620 हैक्टर नहरी मय रास्ता 0.0380 हैक्टर दोनों चकों की कुल 6.501 हैक्टर खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 प्रभूराम उर्फ प्रभुदयाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 प्रभूदयाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी रामतीर्थ एवं प्रतिवादी संख्या 2 अशोक कुमार दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त घोषणा अनुसार वाद कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। एवं चक 7 जीजीएम के खाता संख्या 7/59 व खाता सं. 87/87 व मुन्सरी बारानी के खाता संख्या 77/76 में कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 प्रभूराम उर्फ प्रभूदयाल के नाम यथावत दर्ज रखी जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/9/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नोट: - निर्णय के पृष्ठ सं. 2 की पंक्ति सं. 20 मे प्रतिवादी सं. 01 ता 5 की बजाय प्रतिवादी सं. 02 पढ़ा जावे, शेष निर्णय यथावत।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी,
भादरा, जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)